



डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नयिम, 2025 का प्रारूप

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नयिम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

DPDP नयिम, 2025 प्रारूप के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:** यह नयिमों का एक समूह है जो भारत की **डजिटल अर्थव्यवस्था** और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नागरिकों के डजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के क्रम में डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP अधिनियम), 2023 को कार्यान्वयित करने पर केंद्रित है।
- **डेटा स्थानांतरण:** यह नयिम सरकार द्वारा अनुमोदित **कुछ व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर स्थानांतरित** करने की अनुमति देते हैं।
- **नागरिकों को केंद्र में रखना:** इनमें **नागरिकों द्वारा डेटा समाप्त** करने की मांग करने, **डजिटल नामांकित व्यक्ति** नियुक्त करने एवं **डेटा फ़ीडबैक** द्वारा अपने डेटा को प्रबंधित करने के लिये उपयोगकर्ता-अनुकूल तंत्र रखने के अधिकार दिये गए हैं।
 - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आदि** जैसी संस्थाएँ (जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित और संसाधित करती हैं) डेटा फ़ीडबैक कहलाती हैं।
- **डेटा समाप्त करना:** **डेटा प्रसिपिल (यूजरस)** के साथ अंतिम समन्वय या नयिमों की प्रभावी तिथि, जो भी बाद में हो, से **तीन वर्ष** तक डेटा प्रतधारण की अनुमति दी गई है।
 - **डेटा फ़ीडबैक को डेटा समाप्त करने से कम से कम 48 घंटे पहले** डेटा प्रसिपिल को सूचित करना होगा।
- **डजिटल-फ़रस्ट ट्रस्टिफ़िकेशन:** इन नयिमों में **ऑनलाइन शिकायतों की सुविधा के साथ शिकायतों के तीव्र समाधान** के लिये सहमत तंत्र एवं शिकायत नविवरण हेतु **"डजिटल डज़ाइन"** वाले **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI)** की भी स्थापना का प्रावधान है।
- **ग्रेडेड ज़िम्मेदारियाँ:** ग्रेडेड ज़िम्मेदारियों से **स्टार्टअप और MSME** को **कम अनुपालन बोझ** की सुविधा मिलती है, जबकि **महत्वपूर्ण डेटा फ़ीडबैक** के दायित्व अधिक होते हैं।
 - **फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेज़न, फ़्लिपकार्ट, नेटफ़्लिक्स आदि** जैसे बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं वाले डजिटल प्लेटफॉर्म प्रमुख डेटा फ़ीडबैक के रूप में योग्य होंगे।
- **सहमति प्रबंधक:** डजिटल प्लेटफॉर्म **सहमति प्रबंधकों** के माध्यम से भी सहमति एकत्र कर सकता है।
 - एक सहमति प्रबंधक मुख्य रूप से डेटा गोपनीयता और डजिटल इंटरैक्शन के लिये **उपयोगकर्ता की सहमति के संग्रह, भंडारण और उपयोग का प्रबंधन** करता है।
 - सहमति प्रबंधक **भारत में निगमित कंपनी** होनी चाहिये, जिसकी **वित्तीय और परचालन क्षमता** सुदृढ़ हो, तथा जिसकी न्यूनतम नविल संपत्ति **दो करोड़ रुपए** हो।
- **DPBI:** मसौदा नयिमों में **DPBI** की स्थापना के लिये रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके पास व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों के लिये **सविलि न्यायालय** की शक्तियाँ होंगी।

नोट: वर्ष 2011 में, न्यायमूर्ति **ए.पी. शाह समिति** ने नजिता कानून की सफ़िरशि की थी, और वर्ष 2017 में, **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी** (सेवानवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **नजिता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता** दी थी।

DPDP अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **डेटा संरक्षण का अधिकार:** व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को **नयितरित करने का अधिकार** देता है, जिसमें **पहूँच, सुधार और उदधरण (Erasure)** के अधिकार शामिल हैं।
- **डेटा प्रोसेसिंग और सहमति:** डेटा प्रोसेसिंग के लिये स्पष्ट सहमति प्रपत्रों के साथ **स्पष्ट सहमति** की आवश्यकता होती है।
- **डेटा स्थानीयकरण:** सुरक्षा और प्रवर्तन के लिये **संवेदनशील डेटा को भारत के भीतर ही संग्रहीत और संसाधित** किया जाना चाहिये।
- **नयामक प्राधिकरण:** अनुपालन और शिकायत नविवरण के लिये **DPBI** की स्थापना करता है।
- **डेटा उल्लंघन अधिसूचना:** संगठनों को **डेटा उल्लंघनों** के बारे में व्यक्तियों और **DPBI** को सूचित करना होगा।
- **जुर्माना और दंड:** डेटा सुरक्षा मानकों को लागू करने का **अनुपालन न करने पर सख्त दंड**।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. 'नजिता का अधकार' भारत के संवधान के कसि अनुच्छेद के तहत संरक्षति है?

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न. नजिता के अधकार को जीवन एवं वयक्तगित स्वतंत्रता के अधकार के अंतरगत भाग के रूप में संरक्षति कया जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपरयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- 1. अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- 2. अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि गए राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व
- 3. अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- 4. अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: C

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/draft-digital-personal-data-protection-rules-2025>

